राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

अपील संख्या –1153/2011/चित्तौडगढ़

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
घट–द्वितीय, चित्तोडगढ़। .....अपीलार्थी.

बनाम

मै0 महेश राठौड,
चित्तोडगढ़। .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ
ईश्वरी लाल वर्मा– सदस्य

उपस्थित : :

श्री डी पी औझा,
उप राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.

अनुपस्थित .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 04/03/2016

निर्णय

यह अपील राजस्व द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर, उदयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के अपील संख्या 213/वैट/ 2009–10 में पारित किये गये आदेश दिनांक 22.10.2010 के विरूद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "वैट अधिनियम" कहां गया है) की धारा 83 के तहत प्रस्तुत की गई हैं।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा वाणिज्यिक कर अधिकारी, वर्क्स एण्ड लिजिंग टैक्स, भीलवाड़ा (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) के समक्ष वर्ष 2006–07 के दौरान अवार्डेड संकर्म संविदा कार्यों के निष्पादन के फलस्वरूप कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी की आलौच्य अवधि का दायित्व निर्धारित करते हुये वैट अधिनियम की धारा 24 के अंतर्गत कर निर्धारण आदेश दिनांक 19.03.2009 को पारित किया गया। उक्त कर निर्धारण आदेश में व्यवहारी के विरूद्ध मेटेरियल इत्यादि की मय परिवहन खर्चें अपंजीकृत व्यवहारियों (यू.आर.डी.) से निर्माण सामग्री की खरीद रू0 118398/– अवधारित की जाकर तथा इस राशि पर नियम 22 के तहत 25 प्रतिशत लेबर की राशि कम करते हुए इस राशि पर 12.5 प्रतिशत की कर दर से रू0 14,800/– का करारोपण किया गया। यह राशि समय पर जमा नहीं कराने पर अधिनियम की धारा 55 के तहत रू0 1537/– ब्याज कुल रू0 16,337/– आरोपित किया गया। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के इस आदेश दिनांक 19.03.2009 से अवधारित की गई अपंजीकृत खरीद राशि पर आरोपित करारोपण व देय ब्याज के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपील को अपीलीय अधिकारी द्वारा आदेश दिनांक 22.10.2010 से आंशिक स्वीकार की जाकर अवधारित की गई अपंजीकृत खरीद राशि में

लगातार.....2

से आधी खरीद/ बिक्री के करारोपण मय ब्याज को यथावत रखा जाकर शेष आधी खरीद/बिक्री के करारोपण मय ब्याज को अपास्त किये जाने से अप्रसन्न होकर राजस्व विभाग द्वारा यह अपील पेश की गई है।

प्रत्यर्थी व्यवहारी के बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर उपराजकीय अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गयी।

अपीलार्थी के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत करते हुये कहा कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश सही रूप से पारित किया गया है क्योंकि व्यवसायी ने कार्य संविदा का कार्यादेश एवं जी–शिड्यूल पेश ही नहीं किया। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा इस परिस्थिति में रेकार्ड को देखकर अनुमानित खरीद/बिक्री मानते हुये उस पर कर आरोपित किया गया है, जो सही है। इस प्रकार अपीलीय अधिकारी द्वारा गलत रूप से 50 प्रतिशत खरीद/बिक्री पर कर अपास्त करते हुये अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करके विधिक त्रुटि की गई है। अतः अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश अपास्त करके, कर निर्धारण अधिकारी द्वारा इस बिन्दु पर पारित आदेश को बहाल करते हुये विभागीय अपील स्वीकार किये जाने का आग्रह किया गया।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया।

कर निर्धारण के समय जांच करने पर पाया गया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी ने रू0 118398/– के कार्य संविदा के "जी" शिड्यूल, कार्यादेश, वैट–7 भुगतान सूची पेश नहीं की है। अतः कर निर्धारण अधिकारी ने प्रत्यर्थी व्यवहारी के इस कार्य संविदा का 'जी' शिड्यूल एवं कार्यादेश प्रस्तुत नही करने पर इस कार्य संविदा के निष्पादन में उपयोग की गई निर्माण सामग्री को बिक्री मानते हुये नियमानुसार कर व ब्याज आरोपित किया गया।

प्रत्यर्थी व्यवहारी ने इस कार्य संविदा का कार्यादेश एवं 'जी' शिड्यूल कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष पेश नहीं किया गया। अतः कर निर्धारण अधिकारी ने इस रू0 118398/– की कार्य संविदा के निष्पादन में पत्थर बजरी ईंट गट्टी इत्यादि माल की खरीद अपंजीकृत व्यवहारियों से मानते हुये इसकी डिम्ड बिक्री मान कर 12.5 प्रतिशत की दर से कर आरोपित किया गया।

अपीलीय अधिकारी ने उक्त की खरीद के स्थान पर 50 प्रतिशत निर्माण सामग्री की खरीद का उपयोग किये जाने को उचित मानते हुये आरोपित कर व ब्याज को कायम रखा परन्तु शेष खरीद पर आरोपित कर राशि मय ब्याज अपास्त कर दी गई। अपीलीय अधिकारी ने अपने आदेश में कहा कि कर निर्धारण अधिकारी ने कार्य की प्रकृति एवं आरोपित कर के बिन्दु के बीच कोई तार्किक संबंध स्थापित नहीं किया।

जहां तक कार्य की प्रकृति एवं आरोपित कर के बीच कोई युक्तिसंगत संबंध होने की बात है, कार्य संविदा के 'जी' शिड्यूल एवं कार्यादेश की प्रति पेश करने का दायित्व प्रत्यर्थी व्यवहारी का है। 'जी' शिड्यूल एवं कार्यादेश का विवरण पेश नहीं करने पर कार्य संविदा के निष्पादन में उपयोग की गई निर्माण सामग्री की मात्रा निर्धारित करने का कोई विकल्प नहीं है। इस परिस्थिति में कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष एक ही विकल्प शेष रहता है कि वो इस कार्य संविदा में उपयोग की गई निर्माण सामग्री की मात्रा का युक्तिसंगत आधार पर अनुमानित करते हुये करारोपण की कार्यवाही करे। कर निर्धारण अधिकारी ने 'जी' शिड्यूल एंव कार्यादेश के अभाव में निर्माण सामग्री की रू0 118398/– की अपंजीकृत व्यवहारियों से खरीद मानते हुये करारोपण किया जाना प्रस्तावित किया गया।

प्रत्यर्थी व्यवहारी ने कर निर्धारण अधिकारी एवं उसके पश्चात् अपीलीय अधिकारी के समक्ष भी इस कार्य संविदा का 'जी'शिड्यूल व कार्यादेश प्रस्तुत नहीं किया। इन परिस्थिति में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही को गलत नहीं ठहराया जा सकता है परन्तु अपीलीय अधिकारी का आदेश उपर्युक्त तथ्यों के अनुसार विधिसम्मत नहीं होने से अपास्त योग्य है।

उपर्युक्त तथ्यों के मध्यनजर प्रत्यर्थी व्यवहारी को विवादित कार्य संविदा का कार्यादेश एवं 'जी' शिड्यूल कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष पेश करने के लिये एक ओर अवसर प्रदान किया जाना उचित रहेगा। अतः अपीलीय अधिकारी के आदेश को अपास्त करके यह प्रकरण इस बिन्दु पर कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित करते हुये यह निर्देश दिये जाते है कि वें प्रत्यर्थी व्यवहारी को विवादित कार्य संविदा के कार्यादेश, 'जी' शिड्यूल व अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिये अवसर प्रदान करे तथा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर प्रकरण के गुणावगुण पर विचार करके, उपर्युक्त विवेचित बिन्दु पर पुनः कर दायित्व निर्धारित करे।

परिणामतः अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.10.2010 को अपास्त कर, उपर्युक्त विवेचनानुसार यह प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया जाकर विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

4.3.2016

(ईश्वरी लाल वर्मा)
सदस्य